

अनुमति की शर्तें ।

- (a) उक्त भवन/सुव्यवस्था के निर्माण की सीक्युरिटी स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है ।
- (b) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजस्वगत, लक्षितगत या अन्य) होने की स्थिति में निर्माण का कोई अनुमतिपत्र नहीं होगा तथा न ही निर्माण किसी सतिभूति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (c) उक्त निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदनक निर्माण को स्थगित करेगा ।
- (d) सीक्युरिटी नकशे के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

एकल (श्री) की वीरल आवासीय क्षेत्रीय

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 920 दिनांक 16/03/2021

प्राचीन शीम प्रकाश वीरल शीमली असाकरण वीरल

जी.स।

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2039

आवासीय

धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में

कर स्वनिर्धारण राशि रूपये 15467/- जमा

जरिये रसीद संख्या 9069/6432, 6433

दिनांक 16/08/2021 को जमा करा दी है ।

श. No: 04 ग्राम पाल खसरा स...

दिनांक 16/3/2021

सहायक नगर नियोजक
नगर निगम, जोधपुर

दक्षिण

(Signature)
16/3/2021
9414692838